प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशिक्षण),
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक / प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ / डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ / लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ / यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / अधीक्षिका जिला (पुरूष / महिला / संयुक्त) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त टी0बी0, कुष्ठ, नेत्र एवं अन्य चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / डीएनबी / 2021 / 732 लखनऊ : दिनांक 16/3/ 2022

विषय– नीट पी0जी0 2021 डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0 / पोस्ट डिप्लोमा / एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग के माप अप राउण्ड के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनॉक 15.03.2022 जो आज ई0मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, के साथ संलग्न एन0बी0ई0, नई दिल्ली के पब्लिक नोटिस दिनॉक 12.03.2022 (छायाप्रतियॉ संलग्न) के अनुसार भारत सरकार द्वारा संशोधित कट–ऑफ के अनुसार डी0एन0बी0 शासनादेश संख्या–5–3001 / 1 / 2022–3–1 / 139792 / 2022 दिनांक 10.02.2022 में प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0 / अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्हताओं एवं शर्तों के निर्धारण के अनुसार इन सर्विस चिकित्सकों के आवेदन पत्र नियंत्रक अधिकारियों के संस्तुति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हैं।

अतः आपको निर्देशिति किया जाता है कि उक्त चिकित्साधिकारियें के आवेदन पत्रों को संलग्न प्रारूप के अनुसार अपनी संस्तुति के माध्यम से आवेदन पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशालय के प्रशिक्षण अनुभाग में दिनॉक 21.03.2022 अपरान्ह 5.00 तक अथवा महानिदेशालय की ई–मेल dgmhtraining @gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय अन्यथा की दशा में कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,
16.3.22
महानिदेशक

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / डीएनबी / 2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग–3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं महामंत्री, पी0एम0एस0 एसोसिएशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक (नियोजन एवं बजट प्लान), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा का परिपत्र, शासनादेशों, निर्धारित प्रारूप एवं बॉण्ड का प्रारूप को विभागीय बेबसाईट dgmhup.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. अपर निदेशक (कार्मिक) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

ई0–मेल/अति आवश्यक/समयबद्ध

प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (प्रशिक्षण),
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त निदेशक/प्रमुख अधीक्षक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ/डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ/लोकबन्धु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय, लखनऊ/यू0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर नगर ।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका जिला (पुरूष/महिला/संयुक्त) चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त टी0बी0, कुष्ठ, नेत्र एवं अन्य चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/डीएनबी/2021/ लखनऊ : दिनांक 16/3/ 2022

विषय– नीट पी0जी0 2021 डी0एन0बी0 (पोस्ट एम0बी0बी0एस0/पोस्ट डिप्लोमा/एम0बी0बी0एस0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग के माप अप राउण्ड के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनॉक 15.03.2022 जो आज ई0मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, के साथ संलग्न एन0बी0ई0, नई दिल्ली के पब्लिक नोटिस दिनॉक 12.03.2022 (छायाप्रतियॉ संलग्न) के अनुसार भारत सरकार द्वारा संशोधित कट–ऑफ के अनुसार डी0एन0बी0 शासनादेश संख्या–5–3001/1/2022–3–1/ 139792/2022 दिनांक 10.02.2022 में प्रदेश के पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्हताओं एवं शर्तों के निर्धारण के अनुसार इन सर्विस चिकित्सकों के आवेदन पत्र नियंत्रक अधिकारियों के संस्तुति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने हैं।

अतः आपको निर्देशिति किया जाता है कि उक्त चिकित्साधिकारियें के आवेदन पत्रों को संलग्न प्रारूप के अनुसार अपनी संस्तुति के माध्यम से आवेदन पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर महानिदेशालय के प्रशिक्षण अनुभाग में दिनॉक 21.03.2022 अपरान्ह 5.00 तक अथवा महानिदेशालय की ई–मेल dgmhtraining @gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाय अन्यथा की दशा में कोई भी विपरीत स्थिति उत्पन्न होने पर उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

महानिदेशक

पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0/डीएनबी/2021/733-38 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग–3
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. कुल सचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4. अध्यक्ष एवं महामंत्री, पी0एम0एस0 एसोसिएशन, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक (नियोजन एवं बजट प्लान), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा का परिपत्र, शासनादेशों, निर्धारित प्रारूप एवं बॉण्ड का प्रारूप को विभागीय बेबसाईट dgmhup.gov.in पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. अपर निदेशक (कार्मिक) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

16/3/2022
अपर निदेशक (प्रशिक्षण)

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 10/02/2022**

विषयः पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु अर्हताएं एवं शर्तों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम(डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन0ई0ई0टी0)/अन्य समकक्ष परीक्षा में प्रवेश हेतु निम्नवत् उपबन्धों के अनुसार अनुमति प्रदान की जायेगी :-

(1) अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई विभागीय/सर्तकता जांच अथवा आपराधिक केस प्रचलित नहीं होना चाहिए।

(2) अभ्यर्थी द्वारा परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली गयी हो/स्थायीकरण आदेश निर्गत कर दिया गया हो एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में अभ्यर्थी द्वारा की गई सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक होनी चाहिए।

(3) अभ्यर्थी द्वारा कोई स्नातकोत्तर मेडिकल डिप्लोमा/डिग्री अध्ययन पूर्व में न किया गया हो तथा वर्तमान में भी न किया जा रहा हो।

(4) अभ्यर्थी को अध्ययन सत्र समाप्त होने के बाद तत्काल अपने पूर्ववर्ती तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि तैनाती प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर थी तो अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यभार ग्रहण करना होगा।

(5) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चिकित्साधिकारी की अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी, जिसकी गणना कट ऑफ तिथि आवेदन वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष 31 दिसम्बर पर की जायेगी।

(6) अध्ययन की अवधि को सेवा अवधि माना जायेगा।

(7) पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी अपने नियंत्रक अधिकारी से अनुमति लेकर पुनः परीक्षा में बैठ सकेंगे। तीन से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थी को

पुनः परीक्षा में बैठने हेतु शासन से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

2. पी0 एम 0 एच 0 एस संवर्ग के एम 0 बी0 बी0 एस 0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों हेतु आरक्षित जिला चिकित्सालयों में डी0 एन 0 बी0 (पोस्ट एम 0 बी0 बी0 एस 0/पोस्ट डिप्लोमा/एम 0 बी0 बी0 एस 0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नवत अतिरिक्त अनुबन्ध लागू होंगे :-

(1) डी0 एन 0 बी0 (पोस्ट एम 0 बी0 बी0 एस 0/पोस्ट डिप्लोमा/एम 0 बी0 बी0 एस 0 डिप्लोमा) कोर्स हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी सेवाऐं विभाग में 03 वर्ष पूर्ण हो गयी हों।

(2) डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत 10 वर्ष की निरन्तर सेवा करनी होगी, विफलता की स्थिति में उसे धनराशि रू0- 01 करोड़ का भुगतान राज्य सरकार को करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस हेतु विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरा होना चाहिए।

(3) डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम की अंतिम काउन्सिलिंग के बाद यदि अभ्यर्थी प्रवेश नहीं लेता है तो अभ्यर्थी को धनराशि रू0-10 लाख का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

(4) डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो अभ्यर्थी को धनराशि रू0-10 लाख का भुगतान राज्य सरकार को करना होगा।

(5) डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी अध्ययन बीच में छोड़ देता है तो उसे किसी पी0 जी0 डिग्री/डिप्लोमा के लिये अगले 03 वर्षों के लिये अनुमति नहीं दी जाएगी।

(6) चिकित्सालयों में डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार व्यवस्था इत्यादि हेतु वित्त पोषण पूर्व की भांति राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा किया जाएगा।

(7) डी0 एन 0 बी0 पाठ्यक्रम की अध्ययन अवधि में चिकित्सक को वेतन देय होगा, परन्तु यदि वह शिक्षण संस्थान से कोई वेतन अथवा भत्ता लेता है तो उसे विभाग द्वारा वेतन देय नहीं होगा।

3. पी0 एम 0 एच 0 एस संवर्ग के एम 0 बी0 बी0 एस 0 डिग्रीधारी चिकित्साधिकारियों हेतु प्रदेश के जिला चिकित्सालयों से इतर अन्य चिकित्सीय संस्थानों में एम 0 एस 0 (सर्जरी), एम 0 डी0 (मेडिसिन), एम 0 एस 0 (आर्थोपेडिक्स), एम 0 डी0 (चेस्ट), एम 0 डी0 (पीडियाट्रिक्स), एम 0 डी0 (स्किन), एम 0 डी0 (पैथालाजी), एम 0 एस 0 (गायनोकोलाजी), एम 0 डी0 (एनेस्थीसिया), एम 0 डी0 (रेडियोलॉजी) एवं एम 0 डी0, (जूरिसप्रुडेन्स) में डी0 एन 0 बी0 (पोस्ट एम 0 बी0 बी0 एस 0/पोस्ट डिप्लोमा / एम 0 बी0 बी0 एस 0 डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नवत् अतिरिक्त उपबन्ध लागू होंगे :-

(1) प्रदेश के जिला चिकित्सालयों से इतर अन्य चिकित्सीय संस्थानों में उपरोक्त विषयों में डी0 एन 0 बी0 (पोस्ट एम 0 बी0 बी0 एस 0/पोस्ट डिप्लोमा/ एम 0 बी0 बी0 एस 0 डिप्लोमा) कोर्स हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे , जिनकी सेवाऐं विभाग में 05 वर्ष पूर्ण हो गयी हों।

(2) नेशनल इलीजिबीलिटी-कम-इन्ट्रेन्स टेस्ट (एन 0 ई 0 ई 0 टी 0) परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आवेदन करने वाले 10 चिकित्सकों को नीट परीक्षा की मेरिट के आधार पर अनुमति प्रदान की जायेगी। यदि प्रथम बार अनुमति देने के उपरान्त सभी 10 स्थान नहीं भरते हैं तो तदोपरान्त आवेदन करने वाले चिकित्सकों को आवेदन प्राप्त होने के क्रम में प्रथम आवत प्रथम पावत आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।

(3) ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पांच वर्ष की सेवा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग , उ 0 प्र 0 में पूर्ण करने के उपरान्त स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (डिग्री) में प्रवेश लिया जायेगा] उनका वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 2 भाग- 2 से 4 के अध्ययन अवकाश के अनुसार 02 वर्ष का अध्ययन अवकाश एवं 01 वर्ष का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जायेगा। अध् ययन अवकाश की अवधि में चिकित्साधिकारी को उपनियम- 146 क के अनुसार अर्द्ध औसत वेतन देय होगा। मानदेय भी देय होगा।

(4) अभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरना होगा। उक्त बाण्ड में चिकित्साधिकारियों को इस आशय का उल्लेख तथा यह घोषणा करना अनिवार्य होगा कि पी 0 जी 0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त उनके द्वारा 10 वर्ष की निरन्तर सेवा राज यपोषित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सालयों में दी जाएगी। इससे विचलन की स्थिति में उन्हें रू 0-01 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी।

(5) यदि कोई चिकित्साधिकारी स्नात्कोत्तर मेडिकल कोर्स अध्ययन बीच में ही छोड़ देता है तो उसे अगले 05 वर्षों के लिए किसी पी 0 जी 0 डिग्री/डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. पी0 एम 0 एच 0 एस 0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को पी0 सी0 एण्ड पी0 एन 0 डी0 टी0 कोर्स के 06 माह के प्रशिक्षण हेतु निम्नवत अतिरिक्त उपबन्ध लागू होंगे :-

(1) पी0 सी0 एण्ड पी0 एन 0 डी0 टी0 कोर्स हेतु वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी सेवाऐं विभाग में 03 वर्ष पूर्ण हो गयी हों।

(2) अभ्यर्थी की अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश पर माना जायेगा तथा वर्तमान में मिल रहे वेतन भत्ते व अन्य भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे। मानदेय/स्टाइपेन्ड देय होगा।

(3) अभ्यर्थी को विभाग द्वारा निर्धारित बाण्ड भरना होगा। उक्त बाण्ड में चिकित्साधिकारियों को इस आशय का उल्लेख तथा यह घोषणा करना अनिवार्य होगा कि वे

पी0जी0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरान्त उसके द्वारा 10 वर्ष की निरन्तर सेवा राज यपोषित चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के चिकित्सालयों में देंगे। इससे विचलन की स्थिति में उन्हें रू0-50 लाख की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों को स्नात्कोत्तर (डी0एन0बी0/अन्य पाठ्यक्रम) पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

6. यह शासनादेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक, तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, प्रशिक्षण, (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), उ0प्र0, लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा/परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशाषी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ।
5. अपर निदेशक (कार्मिक), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
6. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, उ0प्र0।
8. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

Signed by मन्नान अख्तर
Date: 10-02-2022 20:14:55
Reason: Approved

(डा0 मन्नान अख्तर)
विशेष सचिव।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्री धारी चिकित्सकों के स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम) में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या–5–3001/1/2022–3–1/139792/2022 दिनांक 10.02.2022 (वर्तमान में प्रभावी) एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, लखनऊ के पत्र दिनांक 15.03.2022 के क्रम में पी.एम.एच.एस. संवर्ग के चिकित्सा अधिकारी जिन्होंने नीट पी0जी0–2021 की परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों एवं उपरोक्त शासनादेश में निहित शर्तों/प्राविधानों को पूर्ण करते हों, के आधार पर चिकित्सा अधिकारियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र*

(शासन द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में जारी अद्यतन शासनादेशानुसार कार्यवाही की जायेगी।)

नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो

1. चिकित्सा अधिकारी का पूरा नाम .....
2. पिता का नाम .....
3. जन्म तिथि .....आयु.....
4. वरिष्ठता क्रमांक .....मानव सम्पदा कोड.....
5. ई–मेल आई0डी0 ..... मो0 नं0 1.....2.....
6. *नीट पी0जी0–2021 की परीक्षा का रोल नं0(अंको में) एवं जिन्होंने पी0डी0सी0ई0टी0 की परीक्षा दी हो, उसका रोल नं0 .....शब्दो में.....
.....रैंक ..... प्राप्त अंक.....(नीट पी0जी0 परीक्षा 2021 में ऑन–लाइन आवेदन की छायाप्रति संलग्नक करें)
7. पी.एम.एच.एस. संवर्ग में लोक सेवा आयोग से चयन के उपरान्त निम्नलिखित प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
   1. प्रथम नियुक्ति तिथि ..... 2. कार्यभार तिथि ..... 3. नीट पी0जी0 2021 की परीक्षा का परीक्षा फल एवं जिन्होने पी0डी0सी0ई0टी0 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो (समस्त प्रपत्रों की एवं नीट पी0जी0 2021 तथा (यदि पी0डी0सी0ई0टी0) स्कोर कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति)
8. प्रथम नियुक्ति के क्रम में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि .....
   (कार्यभार प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न की जायें)
9. आरक्षण श्रेणी (जो लागू हो उसमें टिक करें)
   सामान्य ☐ अन्य पिछड़ा वर्ग ☐ अनुसूचित जाति/जनजाति ☐/☐ दिव्यांग ☐ ईडब्लएस ☐
   (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अद्यतन जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये)
10. (क) विशेषज्ञता (डिप्लोमा/डिग्री) यदि पूर्व से कोई हो प्रमाण पत्र संलग्न करें –

11. प्रथम नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अब तक की तैनातियों का विवरण:–

क्र.सं.	पद नाम	तैनाती स्थान	तैनाती अवधि (किस तिथि से किस तिथि तक)	
			(कब से)	(कब तक)
1	2	3		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

12. अभ्यर्थियों की पूर्ण सेवा अवधि का विवरण:–

क्र.सं.	जनपद में सेवा की तैनाती का स्थान	सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	सेवा अवधि की गणना		
			दिन	माह	वर्ष
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
कुल योग–					

अनुमन्य कुल सेवा की अवधि वर्ष ..... माह..... दिन .....

12 ए. शासनादेश **संख्या–5–3001/1/2022–3–1/ 139792/2022 दिनांक 10.02.2022** में उल्लिखित विन्दु संख्या–02 एवं विन्दु संख्या–03 के अनुसार तीन वर्ष एवं पांच वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है अथवा नहीं।
हां/नहीं

13. एम0बी0बी0एस0 कहाँ से उत्तीर्ण किया गया है (उ0प्र0 से) या उ0प्र0 के बाहर से (एम0बी0बी0 एस0 डिग्री की छायाप्रति संलग्न की जाये)
14. एम0बी0बी0एस0 उत्तीर्ण किये जाने वाले मेडिकल कालेज का नाम .....
..... वर्ष ..... राज्य का नाम.....
15. यदि एम0बी0बी0एस0 विदेश की संस्था से प्राप्त किया है। हाँ/नहीं
    1. संस्था का नाम एवं पता .....
    2. क्या उत्तीर्ण किये जाने वाली संस्था एम0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है? हाँ/नहीं

16. क्या किसी प्रकार की विभागीय/सर्तकता जांच अथवा अन्य कोई कार्यवाही प्रचलित तो नहीं है अथवा ऐसा कोई प्रतिकूल तथ्य तो नहीं है, जो पात्रता हेतु बाधक हो, विवरण दिया जायें।:–
17. सेवा में कार्य करने हेतु शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेश के अधीन कार्यवाही की जायेगी।
18. क्या पूर्व के तीन वर्ष में नीट पी0जी0 की परीक्षा में चयनित हुए है, हाँ/नहीं
(यदि हाँ तो वर्ष/रोल नं0/रैंक/विषय अंकित किया जाये।
19. क्या पूर्व के तीन वर्ष में नीट पी0जी0 की काउसिंलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया। हाँ/नहीं
(यदि हाँ तो वर्ष अंकित करें)
20. क्या आप डिबार श्रेणी में आते हैं। हाँ/नहीं
(अभ्यार्थी डिबार श्रेणी में नहीं आते हैं इस आशय का शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।) शपथ–पत्र मूल रूप में संलग्न करें।
21. क्या नोटरी द्वारा बाण्ड संलग्न किया गया है। हाँ/नहीं
22. नोटरी द्वारा सत्यापित इस आशय का बाण्ड प्रस्तुत किया जायें जिसमें इस तथ्य की घोषणा हो कि स्नातकोत्तर पाठयक्रम पूर्ण करने के उपरान्त संबंधित चिकित्सा अधिकारी को न्यूनतम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा अनिवार्य रूप से राजकीय चिकित्सालयों में करनी होगी। इससे विचलन की स्थिति में रूपया–1,00,00,000/– (रूपया एक करोड मात्र) की धनराशि प्रदेश सरकार को अदा करनी होगी। इसके लिए उक्त धनराशि को दो बराबर जमानतदार, जो विभागीय अधिकारी/कर्मचारी हो, जिनकी दस वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि बाकी हो अथवा उस धनराशि की बैंक गारन्टी प्रस्तुत करनी होगी।

नोटः–अभ्यर्थी अनुक्रमांक संख्या को सही ढ़ग से भरे, यदि अनुक्रमांक संख्या गलत होने के कारण अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

—::घोषणा::—

मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी सूचनाऐं/विवरण एवं उसके संलग्नक मेरे निजी ज्ञान में सत्य है। इसमें किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है। मुझे उ0प्र0 शासन के चिकित्सा अनुभाग–3 द्वारा जारी शासनादेश संख्या–5–3001/1/2022–3–1/ 139792/2022 दिनांक 10.02.2022 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अध्ययन में प्रवेश हेतु निर्धारित सभी शर्तें/प्रतिबन्ध मान्य है। यदि भविष्य में मेरे द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख त्रुटि पूर्ण पाये जाते है अथवा में शासन द्वारा निर्धारित किसी शर्तों/प्रतिबन्धों को पूर्ण नहीं करता हूं तो मेरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा तथा मैं इस हेतु किसी प्रकार का दावा नहीं करूंगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं वरिष्ठता क्रमांक
वर्तमान तैनाती का स्थान

प्रमाणित किया जाता है कि डा0 ..... द्वारा उपरोक्त प्रपत्र में भरे गये सभी तथ्यों का मेरे द्वारा भलीभांति अभिलेखों का परीक्षण कर सत्यापन कर लिया गया है डा0 .... दिनांक ..... से निरन्तर राजकीय सेवा में सेवारत् है। इनकी सेवायें अभिलेखीय आधार पर निरन्तर एवं संतोषजनक रही है तथा अभिलेखों के आधार पर इनके विरूद्ध ऐसे कोई प्रतिकूल तथ्य नहीं है, जिसके कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र देने में कोई बाधा हो। इनका कार्य, व्यवहार एवं आचरण संतोषजनक है।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्साधिकारी
के हस्ताक्षर एवं चिकित्सालय का नाम

कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

आरक्षित डी0एन0बी0 सीटों के पाठ्यक्रम हेतु राजकीय जिला चिकित्सालयों/सरकारी चिकित्सा संस्थानों के लिए चयनित चिकित्सा अधिकारियों का अनुबन्ध पत्र

प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र डा0 ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... ..... जिला..... उत्तर प्रदेश सम्प्रति कार्यरत/पद चिकित्सा अधिकारी ..... जिला..... एवं डी0एन0बी0 हेतु (विशेषज्ञता .....) राजकीय जिला चिकित्सालय/सरकारी चिकित्सा संस्थान ..... (इस के बाद अभ्यर्थी (Candidate) कहा जायेगा)

एवं

श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी..... निवासी..... ..... जिला..... उत्तर प्रदेश (इसके बाद प्रतिभू (Surety) कहा जायेगा)

यह कि हम अभ्यर्थी एवं प्रतिभू पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी चिकित्सकों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों) में अध्ययन के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु निम्नलिखित अनुबन्ध से अनुबन्धित होते हैः–

1. यह कि अभ्यर्थी का चयन स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य समकक्ष पाठ्यक्रमों) के अध्ययन हेतु हुआ है।
2. यह कि हम अभ्यर्थी एवं प्रतिभू शासनादेश संख्या–5–3001/1/2022–3– दिनांक 10.02.2022 का समुचित अध्ययन कर लिये हैं।
3. यह कि मैं अभ्यर्थी यह पूर्ण रूप से जानता हूं कि यदि मुझे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (डी0एन0बी0/अन्य समकक्ष पाठ्यक्रम) हेतु अनुमति प्रदान की जाती है तो मुझे/मेरे उत्तराधिकारियों के मध्य उक्त शासनादेश संख्या–5–3001/1/2022–3– दिनांक 10.02.2022 में विहित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
4. यह कि मैं प्रतिभू ने उक्त शासनादेश संख्या–5–3001/1/2022–3– दिनांक 10.02.2022 की प्रति उपरोक्त अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दी है। अभ्यर्थी द्वारा उक्त शासनादेश के किसी भी प्रस्तर/शर्त की विचलन की दशा में मैं प्रतिभू या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि/पद के उत्तराधिकारी को अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी से उक्त शासनादेश के अनुपालन हेतु विधिक कार्यवाही करें।
5. यह कि उपरोक्त अनुबन्ध पत्र दोनों पक्षों में बिना किसी जोर, दबाव एवं स्वच्छ मन चित एवं स्वेच्छा से आज दिनांक ..... को निम्नलिखित साक्ष्यों के समक्ष हस्ताक्षरित किये।
6. यह कि विवाद की दशा में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
7. यह कि समस्त विवादों का विधिक क्षेत्राधिकार लखनऊ स्थिति सक्षम न्यायालय में होगा।

दिनांक .....

हस्ताक्षर अभ्यर्थी

(नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या)

हस्ताक्षर प्रतिभू

(नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या)

साक्षी नं0–1

(नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या)

साक्षी नं0–2

(नाम, पद एवं पता, आधार कार्ड संख्या)